


मध्य प्रदेश शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
// आदेश //

भोपाल, दिनांक २० जून, 2017

क्रमांक:एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार, इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 6.6.2017 के अनुक्रमांक-2, अनुसार श्री ललित परमार, वरिष्ठ लेखाधिकारी, नगर पालिक निगम, खण्डवा की जिला पेंशन अधिकारी खण्डवा के पद पर की गई पदस्थापना को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।


मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(अनिरुद्ध मुर्कजी)
सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग
भोपाल, दिनांक २० जून, 2017

पृष्ठां.क्रं.एफ-5(ए)/2/2017/ई/चार,
प्रतिलिपि:-

1. माननीय वित्त मंत्रीजी के विशेष सहायक,
 2. अपर मुख्य सचिव, वित्त के स्टाफ आफीसर,
 3. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय,
 4. सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग के निज सहायक,
 5. आयुक्त, कोष एवं लेखा, भोपाल,
 6. आयुक्त, नगर पालिक निगम, खण्डवा,
 7. संचालक, पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा, भोपाल,
 8. संभागीय संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा, इंदौर,
 9. जिला पेंशन अधिकारी, खण्डवा,
 10. संबंधित अधिकारी-----
 11. गार्ड फाईल,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


सचिव
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग